संख्या-284/2017/284/21-3-2017-18/2016

प्रेषक,

शिशिर,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,

नया हैदराबाद,लखनऊ।

भाषा अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक: 24 नवम्बर, 2017

विषय:- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को वित्तीय वर्ष 2017-18 के वचनबद्ध कार्यकलापों एवं योजनाओं हेतु गैर वेतन मद में शेष अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के वचनबद्ध कार्यकलापों एवं योजनाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रावधानित कुल रुपये 45.00 लाख (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)में से प्रथम पांच माह हेतु लेखानुदान अवधि के लिए शासनादेश संख्या -80/21-3-2017-18/2016 दिनांक:21अप्रैल,2017 द्वारा रू0 17.08लाख (रूपये सत्रह लाख आठ हजार मात्र) तथा शासनादेश संख्या- 246/21-3-2017-18/2016 दिनांक: 22 सितम्बर,2017 द्वारा रू0 5.42 लाख (रूपये पांच लाख बयालिस हजार मात्र) की प्रथम किश्त स्वीकृत प्रदान की गयी थी । उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के वचनबद्ध कार्यकलापों एवं योजनाओं के संचालन हेतु अनुदान संख्या-39 के अंतर्गत गैर वेतन मद में अवशेष रुपये 22.50 लाख (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित करके नियमानुसार सक्षम अधिकारी की सहमति से व्यय की जायेगी। उक्त लेखा अनुदान की धनराशि उ0प्र0 संस्कृत संस्थान द्वारा आहरित की जाएगी और उसका बिल अनुसचिव/आहरण वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समस्त अवशेष धनराशि संस्थान द्वारा समर्पित कर दी जाएगी ।

(2) इस धनराशि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए व्यय किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में उल्लिखित नियमावली में दिये गये हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उपरोक्त धनराशि का व्यय विवरण मार्च 2018 तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016-17 का उपभोग प्रमाण-पत्र एवं आडिट की अद्यतन स्थिति से भी शासन को अवगत कराया जाय ।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-** 039 **लेखा शीर्षक** 2202-सामान्य शिक्षा -आयोजनेत्तर -03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा -104-अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता -06-उ.प्र. संस्कृत संस्थान को अनुदान -मानक मद 20 - लेखा अनुदान - सामान्य (गैर -वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या -ई-7/712/दस-17 दिनांक: 17 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या- 284(1)/21-3-2017-18/2016, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय , उ० प्र०, इलाहाबाद ।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
4. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7।
8. भाषा (उर्दू)अनुभाग-4।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आद्यादत्त त्रिपाठी)
अनुसचिव (भाषा)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।